न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 163 / 2021

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. तेजाराम 2. विशनाराम पुत्रान मांगीलाल निवासी– पीपाड शहर, जिला जोधपुर।		1. राज्य जरिये तहसीलदार, पीपाडशहर, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर के द्वारा क्रमांक कोर्ट / रास्ता / 2016 / 1699 दिनांक 21.11.2016 को पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री सुगनमल परिहार, श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवल सिंह दहिया, राज0 अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या एक की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः दिसम्बर, 2021

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर के द्वारा क्रमांक कोर्ट / रास्ता / 2016 / 1699 दिनांक 21.11.2016 को पारित आदेश के विरूद्व यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.09.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपील को उज्र म्याद / उज्र एतराज दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्ट के अधिवक्ता को अपील पर सुना गया।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अन्तर्गत धारा 131, 132 व 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए ग्राम बुचकला तहसील पीपाडशहर के ख0सं0 91, 92 कुल रकबा 46.06 बीघा किस्म बारानी प्रथम में से 0.15 बीघा भूमि पर मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि की किस्म गैर मुमकीन रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि व राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु निवेदन किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उपरोक्त खसरान भूमि के 0.12 बीघा को गैर मुमकीन

रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि व राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश पारित किया है, जिससे अपीलान्ट व्यथित होने से अपील प्रस्तुत कर रहा है।

3. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 131 व 132, 136 के प्रावधानों का एवं राज्य सरकार के परिपत्र का बिल्कुल गलत अर्थ निकाला ळ। अपीलार्थी की भूमि खसरा संख्या 91 व 92 में से कोई कदीमी रास्ता कभी भी नहीं चलता था और न कभी रास्ते की आवश्यकता थी न किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई रास्ते की मांग की गई।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या एक को राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत कोई अधिकार नहीं है कि किसी कि खातेदारी भूमि में से भूमि की किस्म बदल कर रास्ता घोषित करवाये व न ही अधिनस्थ न्यायालय को धारा 131 व 136 राज0 भू राजस्व अधि0 में कोई कानूनी अधिकार है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण में प्रस्तुत पटवारी की मौका रिपोर्ट पक्षकारों की अनुपस्थिति में तैयार की है जिसमें मौके पर किसी पक्षकार को नोटिस नहीं दिया गया और न ही कोई पक्षकार मौके पर उपस्थित था, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं थी। इस रिपोर्ट में जिस खसरा संख्या 111 का उल्लेख है वह नीचे दक्षिण की तरफ सडक से जुडा हुआ है। इस प्रकार खसरा 91 व 92 की भूमि में रास्ता दर्ज किये जाने का कोई आधार नहीं था।

5. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा के द्वारा तहसीलदार पीपाड के उक्त प्रार्थना पत्र पर अन्तिम आदेश पारित किये जाने से पूर्व उन्हें सुनवाई का एवं अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिये था, उक्त कार्यवाही एकतरफा सम्पादित कर दी गई। रास्ते दर्ज किये जाने बाबत उनकी सहमति भी नहीं ली गई। उक्त आदेश की पालना पूर्ण करवाने हेतु दिनांक 8.9.2021 को पटवारी हल्का मौके पर आये तब उन्हें अपीलाधीन आदेश पारित हो जाने की जानकारी दी तब अपीलान्ट के द्वारा नकले प्राप्त करते हुए अधिवक्ता के माध्यम से यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

6. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या एक की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को विधि के परिप्रेक्ष्य में

उचित रूप से पारित होना बताया तथा अपीलान्ट की अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से निरस्त करने का निवेदन किया।

7. हमने अपीलान्ट व राजकीय अधिवक्ता के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि वे आदेश में वर्णित ग्राम बुचकला तहसील पीपाडशहर के ख0सं0 91, 92 कुल रकबा 46.06 बीघा किस्म बारानी प्रथम में से 0.15 बीघा भूमि पर मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि की किस्म गैर मुमकीन रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि व राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उनकी खातेदारी भूमि में से 0.15 बीघा भूमि का गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी सहमति नहीं ली गई और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिया है और मौका भूमि की मौका रिपोर्ट उनकी अनुपस्थिति में तैयार की गई है जिसे न्याय की दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता है।

8. किसी खातेदार की खातेदारी भूमि को किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग आने पर यानि आवागमन के रास्ते के रूप में उपयोग आने पर उसे अधिकृत रूप से रास्ता घोषित किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड नक्शा लठठा ट्रेस में उक्त प्रकार से तरमीम किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी मौखिक एवं लिखित सहमति लिया जाना एवं उसका पक्ष जानने/सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के तहत एवं काननून आवश्यक होता है। इस स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में उक्त प्रकरण में अपीलार्थी की अंकित खसरान भूमि के सम्बन्ध में मौके की रिपोर्ट उनकी उपस्थिति में तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, पीपाड शहर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

9. अतःउपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, पीपाड शहर को प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में

अपीलार्थी की रकबा भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से 01 माह की अवधि में यथोचित आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक दिसम्बर, 2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर